न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 127/2017 अपील

1. महन्त गोपी गिरी पिता महन्त चमन गिरी निवासी शिवरती तहसील सहाडा जिला भीलवाडा	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा
–अपीलार्थी		– रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार सहाडा बमामले
प्रकरण सं0 525/2017 निर्णय दिनांक 06.11.2017

उपस्थित –
1. श्री रामेश्वरलाल जाट अधिवक्ता – अपीलार्थीगण की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 04.06.2018

अपीलाथ्र्ाी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार सहाड़ा को बमामलें प्रकरण सं. 525/2017 निर्णय दिनांक 06.11.2017 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का शिवरती ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट के विरूद्व प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम शिवरती के बिलानाम आराजी नम्बर 1085 रकबा 1.51 हैक्ट. किस्म बारानी द्वितीय में से 0.6 हैक्ट. भूमि पर पक्के कमरे, बरामदा, शिवजी का चबुतरा, धुणी, गुमटी व टीन शेड वगैरह बनाकर तथा 0.34 हैक्ट. पड़त पर अवैध कब्जा कर कुल 0.40 हैक्ट. पर महन्त गोपी गिरी पिता चमन गिरी निवासी शिवरती द्वारा अवैध रूप से भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया । अपीलार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम शिवरती की आराजी नम्बर 1085 सन् 1965 में कंवर लाल हिरण निवासी गंगापुर के नाम आवंटित हुयी। कंवर लाल के उत्तराधिकारियों ने यह आराजी बालूराम शर्मा निवासी मेघरास को विक्रय की । बालूराम शर्मा से उक्त आराजी दिनांक 16.09.2016 को पंचदशनाम जुना अखाडा वाराणसी हाल मुकाम शिवरती जरिये महन्त गोपीगिरी के नाम से क्रय की गयी । तब से इस आराजी पर अखाडा का विधिवत कब्जा चला आ रहा है। अतिरिक्त जिला भीलवाडा ने विधि एवं तथ्यों की भूलकर सन् 1965 को किये गये उक्त आवंटन को निरस्त कर दिया । तहसीलदार द्वारा उक्त आराजी को बिलानाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर अपीलार्थी के नाम से अतिक्रमण का नोटिस जारी कर दिया । अति. जिला कलक्टर भीलवाडा के

आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के यहां प्रस्तुत की, जिसके प्रकरण सं. 309/2017 होकर प्रकरण जैरकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना सुनवायी का अवसर दिये ही व बिना साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये ही उसी दिन अपीलाण्ट के विरूद्व निर्णय पारित करते हुये अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानते हुये वार्षिक लगान के 50 गुणा के आर्थिक जुर्माने की शास्ती अधिरोपित करते हुये आदेश जारी किये गये जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं । अपीलार्थी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर मालिक काबिज है तथा आवंटन को विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया । अपीलार्थी महन्त है तथा अपीलार्थी के नाम पर उक्त भूमि खातेदारी से दर्ज रही हैं । उसी समय का कब्जा व निर्माण हो रखा है। अतः निवेदन हैं कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 10.11.2017 को पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किया गया ।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवार हल्का शिवरती ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट के विरूद्व प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम शिवरती के बिलानाम आराजी नम्बर 1085 रकबा 1.51 हैक्ट. किस्म बारानी द्वितीय में से 0.6 हैक्ट. भूमि पर पक्के कमरे, बरामदा, शिवजी का चबुतरा, धुणी, गुमटी व टीन शेड वगैरह बनाकर तथा 0.34 हैक्ट. पड़त पर अवैध कब्जा कर कुल 0.40 हैक्ट. पर महन्त गोपी गिरी पिता चमन गिरी निवासी शिवरती द्वारा अवैध रूप से भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया । अपीलार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम शिवरती की आराजी नम्बर 1085 सन् 1965 में कंवर लाल हिरण निवासी गंगापुर के नाम आवंटित हुयी। कंवर लाल के उत्तराधिकारियों ने यह आराजी बालूराम शर्मा निवासी मेघरास को विक्रय की । बालूराम शर्मा से उक्त आराजी दिनांक 16.09.2016 को पंचदशनाम जुना अखाडा वाराणसी हाल मुकाम शिवरती जरिये महन्त गोपीगिरी के नाम से क्रय की गयी। तब से इस आराजी पर अखाडा का विधिवत कब्जा चला आ रहा है। अतिरिक्त जिला भीलवाडा ने विधि एवं तथ्यों की भूलकर सन् 1965 को किये गये उक्त आवंटन को निरस्त कर दिया। अति. जिला कलक्टर भीलवाडा के आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के यहां प्रस्तुत की, जिसके प्रकरण सं. 309/2017 होकर प्रकरण जैरकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना सुनवायी का अवसर दिये ही व बिना साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये ही उसी दिन अपीलाण्ट के विरूद्व निर्णय पारित करते हुये अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानते हुये वार्षिक लगान के 50 गुणा के आर्थिक जुर्माने की शास्ती अधिरोपित करते हुये आदेश जारी किये गये जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं । निवेदन हैं कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे ।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी । वादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे बारानी द्वितीय बिलानाम राजकीय भूमि दर्ज हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत हैं । अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थी ने अपील मेमो में अंकित किया हैं कि ग्राम शिवरती की आराजी नं. 1085 सन् 1965 में कंवर लाल हिरण निवासी गंगापुर के नाम आंवटित हुयी, कंवर लाल के उत्तराधिकारियों ने यह आराजी बालूराम शर्मा निवासी मेघरास को विक्रय की, बालूराम शर्मा से उक्त आराजी दिनांक 16.09.2016 को पंचदशनाम जुना अखाडा वाराणसी हाल मुकाम शिवरती जरिये महन्त गोपीगिरी के नाम से क्रय की गयी, परन्तु अपीलार्थी ने उक्त आराजियात को क्रय किये जाने संबंधी कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये हैं। न ही उक्त आराजियात पर कब्जा होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हैं कि पटवारी हल्का शिवरती के मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम शिवरती के बिलानाम आराजी नम्बर 1085 रकबा 1.51 हैक्ट. किस्म बारानी द्वितीय में से 0.6 हैक्ट. भूमि पर पक्के कमरे, बरामदा, शिवजी का चबुतरा, धुणी, गुमटी व टीन शेड वगैरह बनाकर तथा 0.34 हैक्ट. पड़त पर अवैध कब्जा कर कुल 0.40 हैक्ट. पर महन्त गोपी गिरी पिता चमन गिरी निवासी शिवरती द्वारा बिलानाम राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है। जिस फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर अतिक्रमी के विरूद्व 4.80 रूपये के 50 गुणा की दर से शास्ति राशि 240/–रूपये आरोपित कर अतिक्रमी को राजकीय भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया हैं जो युक्तियुक्त प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत सिद्व नहीं होने से खारिज की जाती हैं। नायब तहसीलदार सहाड़ा के प्रकरण सं. 525/2017 निर्णय दिनांक 06.11.2017 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सहाड़ा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/06/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा